



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 मई, 2026

बैशाख 18, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1020/81-2-2026-29(06)-2025

लखनऊ, 8 मई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-265

चूँकि, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का वंचन नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्ही नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
चित्रकूट	मानिकपुर	मानिकपुर	ददरीमाफी	600	4.10208	उत्तर—गाटा सं 601 व गाटा सं 898 पूरब— गाटा सं 898 व गाटा सं 600 का अवशेष भाग दक्षिण— गाटा सं 586, गाटा सं 587 व गाटा सं 600 का अवशेष भाग पश्चिम— गाटा सं 582, गाटा सं 586 व गाटा सं 601
				01 कुल	4.10208	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to the order the publication of the following English translation of notification no. 1020/LXXXI-2-2026 -29 (06)-2025, dated May 8, 2026

No. 1020 /LXXXI – 2 – 2026 -29 (06) - 2025

Dated Lucknow, May 8, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Chitrakoot	Manikpur	Manikpur	Dadrimafi	600	4.10208	North- Gata no. 601 & Gata no. 898 East- Gata no. 898 & Gata no. 600 remain part South- Gata no. 586, Gata no. 587 & Gata no. 600 remain part West- Gata no. 582, Gata no. 586 & Gata no. 601
				01 No.	4.10208	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 132 राजपत्र-2026-(272)-599+25=624 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।